



दिनांक- 09.10.2022

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



चरखारी पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण पर जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के धरपकड अभियान के क्रम में कल दिनांक 08.10.2020 को थाना चरखारी में प्रभारी निरीक्षक विपिन त्रिवेदी द्वारा गठित टीम उ.नि. शिवरतन गुप्ता मय हमराह का. विशाल सिंह व म.का. सुशीला देवी के द्वारा 01 नफर अभियुक्त गजराज उर्फ गजेन्द्र पुत्र स्व. कल्लू यादव उम्र 30 वर्ष नि. मु. धनुषधारी कस्बा व थाना चरखारी जिला महोबा सम्बन्धित मु.अ.स. 279/20 धारा 363/366 IPC थाना चरखारी को पुलिस आफिस महोबा के पास से गिरफ्तार किया गया व मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीडिता/अपहता कु. आकाशनी पुत्री दशरथ राजपूत नि. मु. चिन्तेपुरा कस्बा व थाना चरखारी जिला महोबा की बरामदगी कर परिजनों को अवगत कराया गया व थाना हाजा में बने रिसेप्शन में म.का. तेजस्वनी की निगरानी में बैठाया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

उ.नि. शिवरतन गुप्ता

का. विशाल सिंह

म.का. सुशीला देवी थाना चरखारी जिला महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

गजराज उर्फ गजेन्द्र पुत्र स्व. कल्लू यादव उम्र 30 वर्ष नि. मु. धनुषधारी कस्बा व थाना चरखारी जिला महोबा





दिनांक- 09.10.2022

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



पनवाड़ी पुलिस ने अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण पर जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब/जुआ में लिप्त अभियुक्तों के धरपकड अभियान के क्रम में कल दिनांक 08.10.2020 को प्रभारी थाना पनवाड़ी व०उ०नि० अनुरुद्ध प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम जिसमें उ०नि० श्री प्रभाकर उपाध्याय मय उ.नि. श्री सदानन्द सिंह व हे.का. अरविन्द्र सिंह द्वारा फटना स्थित नदी पुलिया के पास से दो पेटियों में 80 क्वार्टर देशी नाजायज शराब के साथ अभियुक्त माखनलाल पुत्र मोहनलाल अहिरवार निवासी कस्बा व थाना पनवाड़ी जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु.अ.सं. 192/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी -

80 क्वार्टर देशी नाजायज शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- उ०नि० श्री प्रभाकर उपाध्याय थाना पनवाड़ी (महोबा)
- 2- उ.नि. श्री सदानन्द सिंह थाना पनवाड़ी (महोबा)

3- हे.का. अरविन्द्र सिंह थाना पनवाड़ी (महोबा)

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

माखनलाल पुत्र मोहनलाल अहिरवार निवासी कस्बा व थाना पनवाड़ी जिला महोबा।





दिनांक- 09.10.2022

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



कोतवाली नगर पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण पर जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों की धरपकड अभियान के क्रम में कल दिनांक 08.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर महोबा अनिल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित टीम ने किडारी फाटक के पास से 02 नफर अभियुक्तगणों 1. नरेन्द्र राजपूत S/O स्व0 अशोक कुमार निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला जिला महोबा उम्र 20 वर्ष 2. सतीश राजपूत S/O हरिश्चन्द्र राजपूत निवासी ग्राम बल्लाय थाना खरेला जिला महोबा उम्र 22 वर्ष को समय करीब 05.00 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया जिसमें अभियुक्त नरेन्द्र राजपूत के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा बरामद हुआ व अभियुक्त सतीश राजपूत के कब्जे से 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुये जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 541/2020 व 542/2020 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगणों को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण:-

1. नरेन्द्र राजपूत के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा बरामद हुआ

2. अभियुक्त सतीश राजपूत के कब्जे से 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुये
बरामदगी विवरण:-

नरेन्द्र राजपूत के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा बरामद हुआ व अभियुक्त सतीश राजपूत के कब्जे से 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 कोतवाली श्री अनिल कुमार सिंह 2. उ0नि0 श्री राजबहादुर सिंह
3. उ0नि0 श्री मोबीन अली 4. कां0 दिनेश सिंह 5. कां0 सुमित कुमार





दिनांक- 09.10.2022

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



अजनर पुलिस ने अवैध शराब सहित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण पर जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब/जुआ में लिप्त अभियुक्तों के धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर विनोद कुमार द्वारा गठित टीम में उ0नि0 राजेश कुमार प्रजापति मय हमराह का. पीयूष सिंह व म.का. पिकी यादव थाना अजनर जनपद महोबा द्वारा मुखविर खास की सूचना पर सीगौन पुतरिया कच्चा रास्ता प्राथिक विधालय के पीछे बना पुलिया के पास से अभियुक्ता श्रीमती सुनिया पत्नी सीताराम कबूतरा निवासी ग्राम कबूतरा डेरा सीगौन ग्राम सीगौन थाना अजनर जिला महोबा उम्र 40 वर्ष को एक प्लास्टिक की डिब्बे में 15 लीटर कच्ची शराब ठेका के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 174/2020 धारा 60 आवकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

सुनिया पत्नी सीताराम कबूतरा निवासी ग्राम कबूतरा डेरा सीगौन ग्राम सीगौन थाना अजनर जिला महोबा उम्र 40 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ. नि. श्री राजेश कुमार थाना अजनर जनपद महोबा
- 2.का. पीयूष कुमार थाना अजनर जनपद महोबा
- 3.म.का. पिकी यादव थाना अजनर जनपद महोबा



Shot on vivo Z1Pro
Vivo AI camera

2020.10.09



दिनांक- 09.10.2022

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



खरेला पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण पर जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.10.2020 को थाना खरेला सन्तोष कुमार सिंह द्वारा गठित टीम जिसमें उ०नि० बलवन्त सिंह, कां० अनिल यादव व कां० शिवकुमार मौर्य के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 134/2019 धारा 409/419/420/504/506 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त पूरन लाल पुत्र सुखलाल उम्र करीब 55 वर्ष को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करते हुये मां० न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- उ०नि० बलवन्त सिंह थाना खरेला जनपद महोबा।
- 2- कां० अनिल यादव।
- 3- कां० शिवकुमार मौर्य।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

पूरन लाल पुत्र सुखलाल उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम पुपवारा थाना खरेला जनपद महोबा।





दिनांक- 09.10.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



***कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 10900/-
रु0 का जुर्माना एवं यातायात नियमों के तहत किये
गये ई-चालान:-**

आज दिनांक 09.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में चेकिंग की गई। जिसके तहत **कोविड-19/यातायात नियमों के उल्लंघन** पर समस्त थानों द्वारा **कोविड-19 के तहत 93 व्यक्तियों से 10900/-रु0** जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर **25 ई-चालान** किया गया।

जागरूकता अभियान के तहत लोगों को नोवल कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए घरों में सुरक्षित रहने

तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंस (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।





दिनांक- 09.10.2022

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



***महोबा पुलिस** द्वारा पैदल गस्त करके की गई
संदिग्धों की चेकिंग व लोगो को **कोविड-19** के
प्रति किया गया जागरूक:-

आज दिनांक **09.10.2020** को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री
अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे पैदल
गस्त के दौरान संदिग्धो/संवेदनशील/धार्मिक जगहो की चेकिंग एवं
कोविड-19 के मद्देनजर मास्क चेकिंग/जागरूकता अभियान के
तहत जनपद के समस्त थानो द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पैदल गस्त
करके मुख्य बाजार, बस-स्टैंड, धार्मिक स्थलो सहित
होटल/ढाबो/ दुकानो की चेकिंग की गई।

पैदल गस्त के दौरान लोगो को **कोविड-19** संक्रमण के बारे में
जागरूक भी किया गया। लोगो से **मास्क लगाने व 02 गज की दूरी**
बनाये रखने की अपील की गई।



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330



दिनांक- 09.10.202

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330